न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –142/2010 (अपील)

धन्ना लाल आत्मज नाथूलाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

-अपीलाण्ट.

बनाम

1. लाल बहादुर शिक्षा समिति महावीरनगर–तृतीय कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लै0 रे0 एक्ट बनाराजगी आदेश दिनांक 26.06.2007 कार्यालय जिला कलक्टर कोटा रिमाण्ड प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपस्थितः–

1. **श्री विकास पारेता, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट**

निर्णय

दिनांक– 13.01.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा आदेश कमांक/प.1(57) राजस्व/उप/07/3148 दिनांक 26.9.2007 से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 ओर 1963 के तहत निजी/स्वयं सेवी संस्थान लाल बहादुर शिक्षा समिति महावीर नगर ।।। कोटा को ग्राम इटावा जिला कोटा में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण संस्थान हेतु खसरा नम्बर 306/2728 रकबा 0.62 हे0 किस्म माल प्रथम सीलिंग सिवायचक भूमि का निःशुल्क 25 वर्ष की लीज पर आवंटन किया गया था ।

2. उक्त आवंटन के विरुद्व अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील पेश की गई, जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा यह अपील इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि "राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन कर आवंटित आराजी पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए पैरा संख्या 09 से 13 में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 12.7.2007 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो ।"

3. प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 306/2728 की 0.62 हे0 भूमि जो आवंटित की गई है यह अपीलान्ट को खसरा नं0 205 की भूमि आवंटित की है उसी का

जिला कलक्टर कोटा

भाग है जो सेटलमेंट के दौराने सहवन से अलग खसरा नम्बर कायम कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पिछले 40 वर्षो से लगातार बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । पुराना खसरा नं0 205 की आराजी जिसका रकबा 0.7 बीघा है नियमानुसार दिनांक 14.12.1969 को आवंटित की गई थी तथा उक्त भूमि पर नियमानुसार अपीलान्ट को दखल दिया गया तथा उक्त भूमि अपीलान्ट की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई । बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नं0 306 की 1.25 हे0 भूमि दर्ज की तथा बाद में आराजी खसरा नं0 306 की तथा बाद में आराजी खसरा नं0 306 की 1.12 हे0 भूमि अपीलान्ट की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई । उक्त भूमि नये नक्शा ट्रेस में गेता रोड पर न दिखा कर सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि आराजी खसरा नं0 306 के अन्दर दिखा दिया और गेंता रोड पर खसरा नं0 306/2278 की 0.62 हे0 दिखा दिया तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर को सिचायचक दर्ज कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी इटावा के यहां कार्यवाही कर रखी है । रेस्पोडेन्ट को जो भूमि आराजी खसरा नं0 306/2728 की 0.62 हे0 भूमि जो आवंटित की गई है वह अपीलान्ट को आवंटित आराजी खसरा नं0 205 का भाग है जो सेटलमेंट के दौरान सहवन से अलग खसरा नम्बर कायम कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक/प.1(57) राजस्व/उप/07/3148 दिनांक 26.9.2007 से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 और 1963 के तहत रेस्पोडेन्ट निजी/स्वयं सेवी संस्थान लाल बहादुर शिक्षा समिति महावीर नगर ।।। कोटा को ग्राम इटावा जिला कोटा में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण संस्थान हेतु खसरा नम्बर 306/2728 रकबा 0.62 हे0 किस्म माल प्रथम सीलिंग सिवायचक भूमि का निःशुल्क आवंटन 25 वर्ष की लीज पर आवंटन किया गया था । अपीलांट को ग्राम इटावा की आराजी पुराना खसरा नम्बर 205 में 07 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, सेटलमेंट के बाद नये खसरा नं0 306 में 1.12 हे0 भूमि अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई जो वर्तमान में अपीलांट के खातेदारी में दर्ज है । आवंटन के मुकाबले सेटलमेंट के बाद का रकबा 1.12 हे0 अपीलांट के खातेदारी में दर्ज है जो आवंटन के मुकाबले कम नहीं है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा जर्ये फर्द दस्तावेज के साथ ग्राम इटावा की जमाबंदी संवत 2074–77 खाता नं0 432 पेश की गई जिस अनुसार अपीलांट द्वारा अपने खाते की भूमि का बेचान कर दिया गया है जो नामा0 सं0 3289 दिनांक 7.7.2020 एवं शुद्विपत्र नामा0 सं0 10 दिनांक 18.09.2020 से केता जेलसिंह पुत्र रत्यनारायण के 1/2 एवं रामविलास पुत्र केदारलाल के 1/2 हिस्से में दर्ज रेकार्ड है । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील निराधारा होने से खारिज योग्य है ।

6. हमने वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलेट कोर्ट राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दस्तावेजों का अवलोकन किया । अद्योपान्त हम यह पाते है कि अपीलांट को ग्राम इटावा की आराजी

पुराना खसरा नम्बर 205 में 07 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, मिलान क्षैत्रफल अनुसार खसरा नं0 205 के नये नम्बर 306 रकबा 1.25 हे0 बने है, जिसमें से रकबा 1.12 हे0 भूमि अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई जो खातेदारी में दर्ज होने पर अपीलान्ट द्वारा यह भूमि रकबा 1.12 हे0 बेचान की जा चुकी है जो नामा0 सं0 3289 दिनांक 7.7.2020 एवं शुद्विपत्र नामा0 सं0 10 दिनांक 18.9.2020 से अन्य खातेदार जेलसिंह एवं रामविलास के नाम से दर्ज रेकार्ड है, तथा अपीलांट द्वारा इस बाबत एक दावा उपखण्ड अधिकारी इटावा में भी प्रस्तुत करना बताया है । विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होते हुए भी अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि का बेचान करने पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इस अपील का औचित्य ही समाप्त हो जाता है ।

7. हम यह भी मानते है कि अपीलान्ट को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 07 बीघा के मुकाबले नये खसरा नम्बर 306 की भूमि रकबा 1.12 हे0 आवंटन के मुकाबले कम नहीं पड़ती है, यदि फिर भी अपीलांट यह मानता है कि सेटलमेंट के बाद उसकी भूमि कम दर्ज की गई है तो इसकी दुरूस्ती भी सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जर्ये ही दुरूस्त किया जा सकता है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है, रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 26.9.2007 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा